प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6031/2006

याचिकाकर्ता: श्रीमती राम बाई

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 24.04.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6031/2006

याचिकाकर्ता:

श्रीमती राम बाई, पति श्री सत्यनारायण रवि, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत तेलईकछार, (हरिजन पारा, वार्ड क्रमांक), केनापारा, जनपद पंचायत सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. कलेक्टर, सरगुजा अंबिकापुर (छ.ग.)।
3. परियोजना अधिकारी, जनपद पंचायत सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
5. श्रीमती पुष्पा साहू, पति पीतांबर साहू, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी साहपारा, वार्ड क्रमांक ग्राम पंचायत तेलईकछार, जनपद पंचायत सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका)

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्रीमती मीना शास्त्री, अधिवक्ता।

राज्य उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से श्री अरविंद दुबे, अधिवक्ता, श्री अरुण साव, अधिवक्ता के स्थान पर उपस्थित।

श्री अशोक शुक्ला, उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से अधिवक्ता।

-- आदेश --

(दिनांक 24.04.2008 को पारित किया गया)

1. याचिकाकर्ता ने, इस याचिका के माध्यम से, आक्षेपित आदेश दिनांक 25.09.2006 (अनुलग्नक पी/9) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 5 को आंगनबाड़ी केंद्र, हरिजनपारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उत्तरवादी क्रमांक 5 की नियुक्ति को दो आधारों पर चुनौती दी गई है। प्रथम यह कि यह परिपत्र दिनांक 12.01.2006 (अनुलग्नक पी/1) के अनुसार नहीं था और द्वितीय यह कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उत्तरवादी क्रमांक 5 की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस न्यायालय ने **श्रीमती कालेश्वरी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य** (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 796/07) निर्णय दिनांक 09.02.2007, एवं अन्य संबद्ध प्रकरणों में, यह अभिनिर्धारित किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वीकार्य रूप से पंचायतों के कर्मचारी हैं, क्योंकि उनकी नियुक्तियां संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए संकल्प पर जनपद पंचायतों द्वारा की जाती हैं। यह भी निर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ताओं के पास मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 (संक्षेप में 'नियम, 1995') के नियम 3 के तहत छत्तीसगढ़ शासन के संचालक, पंचायत

के समक्ष विधिक वैकल्पिक उपचार के रूप में विधिक अपील उपलब्ध है। याचिकाकर्ता, विधिक अपील के उस वैकल्पिक उपचार का उपयोग किए बिना, सीधे इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

3. वर्तमान प्रकरण में भी छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1993') की धारा 91 के साथ पठित नियम, 1995 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन याचिकाकर्ता को पर्याप्त प्रभावशाली विधिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मीना शास्त्री ने **ए.बी.एल. इंटरनेशनल लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य**[1], **संजना एम. विग (सुश्री) विरुद्ध हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड**[2] और **उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड विरुद्ध आर.एस. पांडे एवं अन्य**[3] के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उच्चतम न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध गुजरात अंबुजा सीमेंट एवं अन्य**[4] के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया है:

> "17. हम पहले अपीलार्थी राज्य द्वारा उठाए गए वैकल्पिक उपचार संबंधी तर्क पर विचार करेंगे। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन की अवधि को

1 2004 (3) SCC 553
2 2005 (8) SCC 242
3 2007 (2) SCC 216
4 (2005) 6 SCC 499

छोड़कर, वैकल्पिक उपचार से संबंधित शक्ति को स्व-आरोपित सीमा का नियम माना गया है। यह मूलतः नीति, सुविधा और विवेक का नियम है और कभी भी विधि का नियम नहीं है। वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष प्रदान करना उच्च न्यायालय की विवेकाधीन अधिकारिता के भीतर है। साथ ही, इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि यद्यपि वैकल्पिक उपचार से संबंधित मामला प्रकरण की अधिकारिता से संबंधित नहीं है सामान्यतः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि कोई पर्याप्त प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो। यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय के पास आता है, तो उच्च न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक वह यह सुनिश्चित न कर ले कि उसने एक बहुत ही प्रबल प्रकरण बनाया है या असाधारण अधिकारिता का आह्वान करने के लिए अच्छे आधार मौजूद हैं।"

"21. **जी. वीरप्पा पिल्लई विरुद्ध रमन एंड रमन लिमिटेड**, **सी.सी.ई. विरुद्ध डनलप इंडिया लिमिटेड**, **रामेंद्र किशोर विश्वास विरुद्ध त्रिपुरा राज्य**, **शिव गोंडा अन्ना पाटिल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**, **सी.ए. अब्राहम विरुद्ध आई.टी.ओ.**, **टाटागढ़ पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध उड़ीसा राज्य**, **एच.बी. गांधी विरुद्ध गोपीनाथ एंड संस**, **वर्लपूल कॉर्पोरेशन विरुद्ध ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार**, **टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड विरुद्ध बिहार राज्य**, **शीला देवी विरुद्ध जपाल सिंह**, और **पंजाब नेशनल बैंक विरुद्ध ओ.सी. कृष्णन** के प्रकरणों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि जहां कानून द्वारा अपीलों का पदानुक्रम प्रदान किया गया है, वहां पक्षकार को रिट अधिकारिता का आश्रय लेने से पहले विधिक उपचार का आश्रय लेना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. **उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड विरुद्ध आर.एस. पांडे एवं अन्य**[5]

के प्रकरण में उक्त सिद्धांत को आगे लागू करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

"21. **उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एस. कर्मचारी संघ** के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब विवाद कानून के तहत

5 (2005) 8 SCC 264

किसी अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित हो और इसके लिए कानून के तहत विशिष्ट उपचार प्रदान किया गया हो, तो उच्च न्यायालय को सामान्य दृष्टिकोण से विचलित नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब विचलन के लिए एक बहुत ही प्रबल प्रकरण बनाया गया हो। जो व्यक्ति ऐसे उपचार पर जोर देता है वह कानून के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। इसी आशय के निर्णय **प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड विरुद्ध कमलेकर शांताराम वाडके**, **राजस्थान एस.आर.टी.सी. विरुद्ध कृष्ण कांत**, **चंद्रकांत तुकाराम निकम विरुद्ध अहमदाबाद नगर निगम** और **स्कूटर इंडिया विरुद्ध विजय ई. वी. एल्ड्रेड** के प्रकरणों में भी दिए गए हैं।"

7. वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता विरुद्ध रिट याचिका की विचारणीयता की अवधारणा पर एक अन्य नवीनतम निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने **सचिव, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा, इलाहाबाद एवं अन्य विरुद्ध एच.के. लाल**[6] के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"4. अभिलेखों से यह पुष्ट होता है कि क्या उत्तरवादी को बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में दर्ज अपनी जन्म तिथि बदलने का विधिक अधिकार है, यह प्रश्न अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन लंबित था। इसलिए, उत्तरवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि इसके विरुद्ध अपील लंबित थी। रिट अधिकारिता विवेकाधीन अधिकारिता है और यदि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो तो सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।"

8. उपरोक्त प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में एक सामान्य सूत्र यह है कि, सामान्यतः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना

6 2007 (2) SCC 216

चाहिए यदि कोई पर्याप्त प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो। जहां कानून द्वारा अपीलों का पदानुक्रम प्रदान किया गया है, पक्षकार को रिट अधिकारिता का आश्रय लेने से पहले विधिक उपचार का उपयोग करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब विचलन के लिए एक बहुत ही प्रबल प्रकरण बनाया गया हो।

9. वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सुस्थापित सिद्धांतों को प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी नियुक्ति न होने को चुनौती दी है, सामान्य नियम से विचलन करने के लिए कोई प्रकरण नहीं बनता है। अतः, विधिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता को देखते हुए, यह याचिका विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। हालांकि, याचिकाकर्ता विधिक वैकल्पिक मंच का आश्रय लेने के लिए स्वतंत्र है जो उसे उपलब्ध हो सकता है, यदि उसे वैसी सलाह दी जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur